

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./0017/अ-82/2019-20 / 6276

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

### प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **रावतपुरा** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **4.354** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **रावतपुरा** प.ह.न **10** रा.नि. वृत् **02** में उक्त परियोजना के लिये **4.354** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामत्वि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	स्वामत्वि का प्रकार हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	27	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.046	रोशन लाखन माखन मिश्री भूपसिंह पुत्रगण पांच्या लाडो संजो पुत्रीयां पांच्या कम्पूरी वेबा पांच्या जाति जाटव पता निवासी ग्राम सुमरेरा समान भाग भूमि स्वामी भू - राजस्व 0.23
2	31	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.074	भोरिया पुत्र जनिक जाति जाटव नि. सुमरेरा भू-राजस्व 3. 59
3	32	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.126	रघुवीर सिंह पुत्र गनपतसिंह जाति राजपूत ठाकुर निवासी ग्राम रघुनाथपुर भू-राजस्व 1.68
4	36	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.380	सुगम, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निवासी सुमरेरा समान भाग भू-राजस्व 9.00
5	37	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.400	सुगम, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निवासी सुमरेरा समान भाग

कलेक्टर  
जिला श्योपुर (व. व.)

6	38	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.400	सुगम, मठोला, भन्ता , बाबू पुत्रगण भजन जाति जाटव पता निवासी सुमरेरा समान भाग
7	39	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.683	विद्यादेवी पत्नी वनबारीलाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.25
8	40	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.610	बनवारी पुत्र मांगीलाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भ-राजस्व 4.00
9	41	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.510	देवेन्द्र प्रकाशचंद्र पुत्रगण सरूपचन्द्र जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00
10	43	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.165	सलीम बेग पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 3.44
11	44	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.026	बिलकेश रशीदन बानो पुत्रिया मोहम्मद हुसैन जाति मुस्लमान पता निवासी ग्राम सम्मान भाग भूमि स्वामी
12	46	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.853	फोदा पुत्र भोला जाति तेली पता नि. सुमरेरा 1/2 भाग भूमि स्वामी मु.रामकोरी बेवा दामोदर जाति तेली पता नि. रघुनाथपुर भूमि स्वामी रामकृष्ण , रघुवीर, भागीरथ पुत्रगण दामोदर जाति तेली पता नि. रघुनाथपुर 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 13.00
13	53	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.015	बल्देवसिंह , गुरुवेल सिंह , रंजीतसिंह मलकीत पुत्रगण करमसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी गुरनामकोर बेवा करमसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सुरेन्द्र कौर पुत्री करमसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी रामभरोसी पत्नी युवराज जाति जगा पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सम्पत पत्नी राममूर्ति जाति जगा पता नि. सुमरेरा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी गुरुबक्ससिंह पुत्र साधूसिंह जाति सिक्ख पता नि. सुमरेरा 1/6 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.94
14	54	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	राजेश सिंह पुत्र भीमचन्द्र जादौन जाति ठाकुर पता नि. रघुनाथपुर भू-राजस्व 3.67

बलदेव

जला ध्योपुर (स. प्र.)

15	55	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.024	नथुआ तेसिंह पुत्रगण सुगन जाति गुर्जर पता नि. ग्राम रघुनाथपुर 229/1388 भाग भूमि स्वामी रामभरोशी पत्नी युवराज जाति नाथ पता निवासी ग्राम 229/1388 भाग भूमि स्वामी शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम 61/1388 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत पता निवासी ग्राम 23/1388 भाग भूमि स्वामी रूमाली बेवा रामसिंह राहुल नाबा. पुत्र रामसिंह सर मां खुद रामा रामलता पुत्रियां रामसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग 78/1388 भाग भूमि स्वामी रामसिंह पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 78/1388 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र रामहेत जाति रावत पता नि. ग्राम 23/1388 भाग भूमि स्वामी शिवचरण पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 61/1388 भाग भूमि स्वामी रामभरोशी पत्नी युवराज जाति नाथ पता नि. सुमरेरा भूमि स्वामी सम्पत पत्नी राममूर्ति जाति जागा पता नि. ग्राम 116/1388 समान भाग भूमि स्वामी कन्हैया पुत्र गोविन्दा राजन्ती पुत्री गोविन्दा जाति जाटव पता नि. ग्राम 144/1388 समान भाग भूमि स्वामी मु. गुरुनामकौर पत्नी कर्मसिंह जाति पंजाबी पता नि. ग्राम 10/1388 भाग भूमि स्वामी रामलखन पुत्र रतनलाल जाति रावत पता नि. ग्राम 150/1388 भाग भूमि स्वामी मांगीलाल लालाराम पुत्रगण सुआ जाति जाटव पता नि. ग्राम 210/1388 समान भाग भूमि स्वामी शिवचरण, रामलखन पुत्रगण रतन जाति रावत पता नि. ग्राम 24/1388 समान भाग भूमि स्वामी अनीता देवी पत्नी दीनदयाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर 28/1388 भाग भूमि स्वामी बृजमोहन पुत्र रामहेत जाति रावत पता नि. रघुनाथपुर 42/1388 भाग भूमि स्वामी कृष्णगोपाल पुत्र चिम्नलाल जाति वैश्य पता नि. रघुनाथपुर 85/1388 भाग भूमि स्वामी ममता पत्नी फूलसिंह जाति गुर्जर पता नि. रघुनाथपुर 70/1388 समान भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र सुआ जाति जाटव पता नि. रघुनाथपुर 102/1388 भाग भूमि स्वामी रघुवीर पुत्र मदन जाति रावत पता नि. रघुनाथपुर 16/1388 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 56.50
	योग			4.354	

योग

4.354

कलकतर

प. ३.)

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।


अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर  
तारीख- 08/08/2019




  
(बसंत कुरे)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क. / 0017 / अ-82 / भू-अर्जन / 2019-20 / 6277  
प्रतिलिपि-

शयोपुर दिनांक 08/08/2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला शयोपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला शयोपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. शयोपुर की ओर कलेक्टर जिला शयोपुर (समुचित सरकार ) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।

  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला शयोपुर (म.प्र.)